

-- आदेश --

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.10(20)आयुर्वेद/2015 दिनांक 11.12.2015 द्वारा विज्ञप्ति संख्या 4/2013 के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी कर दिनांक 23.12.2015 तक संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में उपस्थित देने के निर्देश दिये गये थे तत्पश्चात एतद् विभाग के आदेश क्रमांक प.10.(14)आयुर्वेद/2015 दिनांक 22.12.2015 एवं 31.12.2015 द्वारा कुल 21 अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर/पीएचडी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.1997 के अनुक्रम में कार्यग्रहण अवधि में नियुक्ति तिथि से 6 माह अधिकतम अभिवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

निर्देशक आयुर्वेद विभाग ने अवगत कराया है कि निम्नांकित अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक 10.06.2016 तक विभाग में कार्यग्रहण नहीं किया है।

क्र. सं.	नियुक्ति आदेश की क्र. सं.	मैरिट संख्या	नाम मय पिता-पति का नाम	जन्म तिथि	सर्वग	पदस्थान स्थान
1	216	228	शालीनी इंदर/महेश चन्द	15.10.89	GEN	राज.चिकि.निम्बाहेडा, चित्तौडगढ़
2	227	241	मोनू गुप्ता/समावतार गुप्ता	11.03.87	GEN	सीएचसी मूपालसागर, चित्तौडगढ़
3	238	263	अवन्तिका जयसवाल/विजय कुमार	01.05.87	GEN	पीएचसी छान टोंक
4	256	299	लक्ष्मी महाराणा अबोध कुमार महाराणा	12.07.85	OBC SC	जखराना, चित्तौडगढ़
5	263	318	मुकेश कुमार मीना/बाबूलाल मीना	07.05.89	ST	ओबरी, डूंगरपुर

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.1997 के क्रम में नियुक्ति तिथि से अधिकतम 6 माह से अधिक कार्यग्रहण अवधि वृद्धि का प्रावधान नहीं होने के कारण निर्देशानुसार उक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 13.07.2016 तक संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति/कार्यग्रहण कर लेवे अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(सेवा राम स्वामी)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद।

3. निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर को देकर लेख है कि संबंधित को इस संबंध में अवगत कराने का श्रम करे।
4. संबंधित को मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली



(ओम प्रकाश वर्मा)  
सहायक शासन सचिव